प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

हत्याकांड के दोषी को सुनाई गई

आजीवन कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

दिनांक-16.9.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन" (OPERATION CONVICTION)** के तहत सीतापुर पुलिस को एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर, **श्री अंकुर अग्रवाल** के कुशल निर्देशन में थाना मिश्रिख पुलिस एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने **एक हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास व 15,000/- रुपये का अर्थदंड की सजा** सुनाई है।

न्यायालय का फैसला:- दिनांक 15.09.2026 को माननीय न्यायालय 7th अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा मुकदमे की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र स्व० अवधेश कुमार पासी निवासी ग्राम इमलिया, थाना मिश्रिख, सीतापुर को दोषी करार देते हुए निम्नलिखित सजा सुनाई गई।

- **धारा 103(1) BNS:** आजीवन कारावास
- **अर्थदण्ड:** 15,000/- रुपये का जुर्माना

घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 05.02.2025 को थाना मिश्रिख क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री गिरधारी पुत्र सीताराम राठौर (निवासी ग्राम इमलिया, थाना मिश्रिख, सीतापुर) द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी कि पुरानी रंजिश के चलते अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र स्व०अवधेश कुमार पासी (निवासी ग्राम इमलिया, थाना मिश्रिख, सीतापुर) द्वारा उनके बड़े भाई कन्हई उर्फ कन्हड्या लाल राठौर व अन्य रिश्तेदारों की बाइक में अचानक डंडा डालकर उन्हें गिरा दिया गया था। इसके बाद अभियुक्त शैलेन्द्र उपरोक्त द्वारा बांके से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई तथा बीच-बचाव करने आए रिश्तेदारों को घायल करने व जान से मारने की धमकी दी गई थी।

पुलिस की प्रभावी कार्यवाही: थाना मिश्रिख पर पंजीकृत **मु.अ.सं. 27/25, धारा 103(1)/351(3)/115(2)/117(2) BNS** की विवेचना पुलिस द्वारा अत्यंत वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से पूर्ण करते हुए दिनांक 04.05.2025 को चार्जशीट संख्या A-88/25 प्रेषित की गयी। अभियोजन पक्ष और सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा न्यायालय में समयबद्ध तरीके से गवाहों को प्रस्तुत किया गया और सशक्त साक्ष्य रखे गए। इसी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप घटना के लगभग डेढ़ वर्षों के भीतर अपराधी को उसके किए की कठोरतम सजा दिलाई जा सकी।

सीतापुर पुलिस अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने और आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है।